CIN : L23201MH1952GO1008858 Ph.: 0124-4206008

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम) रजिस्टर्ड ऑफिस: 17, जमशेदजी टाटा रोड़, मुम्बई. 400020
HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED
(A Government of India Enterprise) Registered Office : 17, Jamshedji Tata Road, Mumbai - 400 020

गुरूग्राम रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय :– 104, प्रथम तल, सिल्वरटन टॉवर, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सैक्टर–50, गुरूग्राम–122018,
Gurugram Retail Regional Office : 104 First Floor, Silverton Tower, Golf Course Extension Road, Sec - 50, Gurugram - 122018

सेवा में,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एफ0सी0ए0

कृतेः प्रधान वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला

विषयः– **Diversion of 0.1426 ha. Of forest land for access to retail outlet of HPCL Ltd. Along Wazirpur – Farukhnagar, road at Chainage 6.725 R/side Village Saidpur Mohammadpur under forest division and District Gurugram, Haryana.**

Online Proposal No. FP/HR/Approach/122935/2021

संदर्भः आपका पत्र क्रमांक 1599 दिनांक 28–05–2021।

कृपया उपर्यक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करे जिसमें वन (संरक्षक) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी है।

2 सरकार द्वारा जारी आदेश कमांक 1670–व–2–2016/8430 दिनांक 6–5–2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त उददेश हेतु 0.1426 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति /स्वीकृत उपरान्त सैद्धान्तिक मंजूरी देने वाली मांगी गई सूचना निम्नलिखित हैं।

I. प्रयोक्ता एजैन्सी से स्कीम के अनुसार पति पूर्ति पौधा रोपण की राशि जमा करवाई करा दी गई हैं।
II. मननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30–10–2002, 28–3–2008, 24–4–2008 पूर्व 9–5–2008 तथा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली निर्देश संख्या 5–3–2007– एफ0सी0, दिनांक 5–2–2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी से प्रस्ताविक वन भूमि नैट प्रैजैन्ट वैल्यु जमा करा दी गई हैं।
III. प्रयोक्ता एजैन्सी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की **Webwww.parivesh.inc.in** के माध्यम से अपने केश में चलान (**70122935547-**दिनांक **26-07-2021**) जनरेट करके उसमे अंकित लेखा राशि जमा करवाई जा चुकी हैं।
IV. टनु सूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता 2006, की अनुपालना में सम्बन्धित जिलाधीश की ओर से प्रणाम पत्र कार्यालय भेज दिये हैं।
V. प्रस्ताव के साथ डी0टी0पी0 द्वारा जारी एन0ओ0सी0/सी0एल0यू0 जमा करा दी गई हैं।

3. अन्तिम स्वीकृति के उपरान्त निम्नलिखित शर्तों का पालना भी किया जाएगा।

(i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
(ii) प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष काटे जाएगे एवं काटे जाने वाले वृक्षो की संख्या 3 से अधिक नही होगी।
(iii) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उददेश्य के अलावा किसी अन्य उददेश्य के लिए नही किया जाएगा।
(iv) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जब कभी भी एन0पी0वी0 की राशि बढाई जाएगी तो उस बढी हुई एन0पी0वी0 की राशि को फ्रेम्या हरियाणा के लेखा में जमा करवाने के लिए प्रयोक्ता एजैन्सी बाध्य होगी।
(v) इस प्रस्ताव को 15 वर्ष के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति सरकार से प्राप्त करने के लिए हम बाध्य होगे।

Scanned with OKEN Scanner

(vi) पैट्रोल पम्प/Fueling Station की पूरी परिधि (Perlphery) पर दीवार से 1.5 मीटर जगह छोड़कर 1.0 से 1.5 मीटर के अन्तराल पर Light Crown पेड़ों का वृक्षा रोपण किया जाएगा।

(vii) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा पहुंच मार्ग (Entry/Exit Or Deceleration/Acceleratton) के इस विभाजक द्वीप का कोई भी वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया जाएगा।

(viii) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नही पहुंचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएगें।

(ix) स्थानान्तरण के लिए प्रस्ताविक वन भूमि को सरकार की पुर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजैन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा।

(x) सरकार के अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नही जाएगा।

(xi) स्थानान्तरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गए कम संख्या वाले 4 फीट उँचे सीमेन्ट के खम्मों द्वारा चिन्हित की जाएगी।

(xii) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा।

(xiii) अन्य कोई भी शर्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरंक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय–समय पर की गई शर्तो का अनुपालन किया जाएगा।

(xiv) यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजैन्सी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरणीय समाशोधन प्राप्त करेगी।

(xv) इन शर्तों में किसी भी शर्त की उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की उल्लंघना होगी, जिसके परिणाम स्वरूप **Guidelines 1.21 of Handbook of Forest (Conservation)-Act 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications)- 2019** के अनुसार कार्यवाही का अनुपालन किया जाएगा।

(xvi) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना की शर्तों का हमारे द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

Shivam Seth

Shivam Seth
Area Sales Manager
Gurgaon-2

Hindustan Petroleum Corporation Limited

Scanned with OKEN Scanner